



आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान
वेब साईट-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce>
ई.मेल-hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2705471

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2021/1302

दिनांक: 12 अगस्त, 2021

आदेश

निम्नांकित सह/सहायक आचार्य के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय महाविद्यालयों में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र. स.	नाम सह/सहायक आचार्य (डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री)	विषय	राजकीय महाविद्यालय		वि.वि.
			कहाँ से	कहाँ पर	
1	सुरेश कुमार माली	एबीएसटी	माण्डलगढ	बून्दी	
2	जितेन्द्र कुमार बोहरा	इतिहास	शिव	बाडमेर कन्या	
3	प्रेम राज चौधरी	इतिहास	रायपुर पाली	नसीराबाद	
4	उग्रसेन	इतिहास	नोहर	सूरतगढ	
5	विपिन कुमार बगडिया	ईएफएम	हिण्डोन सिटी	सीकर वाणिज्य	
6	सुमन कविया	हिन्दी	भवानीमंडी	नोखा	
7	मृणालिनि पारीक	हिन्दी	नोहर	सरदारशहर	
8	दीपक कुमार	हिन्दी	गोविन्दगढ	खैरथल	
9	ज्योत्सना स्वर्णकार	हिन्दी	रावतभाटा	बून्दी	
10	सोनल मीणा	भूगोल	आहोर	धौलपुर	
11	मनोज कुमार	भूगोल	मलसीसर	खेतडी	
12	कला जैन	राजनीति विज्ञान	छबडा	ब्यावर	
13	देवाराम	राजनीति विज्ञान	कोटडा	बाडमेर कन्या	
14	महेन्द्र जाट	राजनीति विज्ञान	जैसलमेर कन्या	गोविन्दगढ	
15	विरेन्द्र सिंह	रसायन शास्त्र	बारां	अलवर आरआर	
16	लक्ष्मीनारायण जाटोलिया	रसायन शास्त्र	बांसवाडा	ब्यावर	
17	रजिया जबीन	रसायन शास्त्र	नाथद्वारा	उदयपुर कन्या	
18	मुनेश लाल मीणा	रसायन शास्त्र	करोली कन्या	करोली	
19	रामलखन	रसायन शास्त्र	करोली	करोली कन्या	प्रशासनिक
20	झंवरराम	दर्शनशास्त्र	बाडमेर	पोकरण कन्या	
21	पिंकी खोईवाल	वनस्पति शास्त्र	बालोतरा कन्या	सोजत सिटी	
22	नीतू	लोक प्रशासन	पोकरण कन्या	सीकर कला	


उक्त में जिनके नाम के सम्मुख प्रशासनिक अंकित है, को नियमानुसार योगकाल एवं यात्राभत्ता देय होगा। जिन जिलो में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है, उनमें उक्त आदेश आचार संहिता समाप्ति के पश्चात प्रभावी होंगे।

(संदेश नायक)
12/08/2021

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर को उनकी अ.शा.टीप.संख्या :रा. म./उ.शि./2021/2657 दिनांक 12.08.2021 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. प्राचार्य, सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय को अविलम्ब पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि जिन जिलो में चुनाव आचारसंहिता लागू है वे आचारसंहिता का पालना सुनिश्चित करे एवं जिन महाविद्यालयों में शून्य की स्थिति बनती है वहाँ आयुक्तालय की अनुमति के बिना कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
6. सम्बन्धित सह/सहायक आचार्य को पालनार्थ।
7. वेबसाईट प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।


12/08/2021
(डॉ.आर.सी.मीना)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर